

No. 10/2/2012-Coord (Vol II)
Government of India
Ministry of Water Resources

8/81



Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg
New Delhi, dated: Feb., 2014

28 FEB 2014

To,

Heads of All organizations under MOWR

Chd 9/1 4.3.2014
C.E. (HRM) 07/03
Dy (E-I)

Subject: Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 - regarding

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter no. 15/6/2014-Public dt. 25.2.2014 received from Ministry of Home Affairs alongwith enclosures on the subject mentioned above for kind information and strict compliance.

Encl. as above.

Yours faithfully,

Arun

(Arun Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23716894

Copy to,

1. US(GA) for Ministry (Proper)
2. Guard file.

Pl. circulate to all offices including F.O.
gms
13

E-11
Encl. No. 384
Date 10.3.14

80/10

10/3/14
Dr. Singh

No. 15/6/2014-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

North Block, New Delhi-1
Dated the 24th February 2014

25 FEB 2014

1/7

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject:-

Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- regarding.

Sir/Madam,

In compliance of the direction given by the Hon'ble High Court of Allahabad,
Lucknow Bench, Lucknow in order dated 30.1.2014 in the Public Interest Litigation W.P. (M/B)
No. 603 of 2014 - Pratap Chandra Vs. Union of India & Ors., copies of the Prevention of Insults
to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002 are enclosed herewith for strict
compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code.

It is also requested that suitable instructions in this regard may please be issued to
all the concerned agencies. Strict action should be taken against the concerned officials and
individuals/organizations for any violation of the provisions of the said Act and Flag Code of
India 2002.

Yours faithfully,

M. Shyamala
(Shyamala Mohan)

Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2587

Encl.:- As above.

Copy to:-

1. Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
4. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
5. Election Commission of India, New Delhi.
6. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
7. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
9. Delhi High Court, New Delhi.
10. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
11. The Union Public Service Commission, New Delhi.
12. Central Vigilance Commission, New Delhi.
13. Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
14. All Attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
15. 20 Spare Copies.

8/33

संख्या 15/6/2014-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

2

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 24 फरवरी, 2014

25 FEB 2014

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों के
मुख्य सचिव/प्रशासक एवं
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में निहित उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन ।

महोदय/महोदया,

मामला वर्ष 2014 की रिट याचिका सं0 603 (एम/बी) (पी आई एल) -प्रताप चन्द्र बनाम भारत संघ एवं अन्य की सुनवाई में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की प्रतियां, अधिनियम एवं संहिता में निहित उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में उचित अनुदेश सभी संबंधित एजेंसियों को जारी किए जाएं। उक्त अधिनियम और भारतीय झंडा संहिता, 2002 के उपबंधों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारियों और व्यक्ति-विशेष/संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ।

भवदीया,

संलग्नक-यथोपरि ।

म. 24/2/2014

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
13. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालय ।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां

8/24
3

THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT, 1971

No. 69 of 1971

(23rd December, 1971)

(Amended by the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005)

No. 51 of 2005

(20th December, 2005)

An Act to Prevent Insults to National Honour

Be it enacted by Parliament in the Twenty- second year of the Republic of India as follows: -

1. SHORT TITLE AND EXTENT

- (1) This Act may be called the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.
- (2) It extends to the whole of India.

2. INSULT TO INDIAN NATIONAL FLAG AND CONSTITUTION OF INDIA

Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or *otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation 1 – Comments expressing disapprobation or criticism of the Constitution or of the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain an amendment of the Constitution of India or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.

Explanation 2 – The expression, "Indian National Flag" includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts thereof, made of any substance or represented on any substance.

Explanation 3 – The expression "public place" means any place intended for use by, or accessible to, the public and includes any public conveyance.

*Explanation 4 - The disrespect to the Indian National flag means and includes—

- (a) a gross affront or indignity offered to the Indian National Flag; or
- (b) dipping the Indian National Flag in salute to any person or thing; or
- (c) flying the Indian National Flag at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government; or

- (d) using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in state funerals or armed forces or other para-military forces funerals; or
- (e) #using the Indian National Flag:-
 - (i) as a portion of costume, uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person; or
 - (ii) by embroidering or printing it on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material; or
- (f) putting any kind of inscription upon the Indian National Flag; or
- (g) using the Indian National Flag as a receptacle for receiving, delivering or carrying anything except flower petals before the Indian National Flag is unfurled as part of celebrations on special occasions including the Republic Day or the Independence Day; or
- (h) using the Indian National Flag as covering for a statue or a monument or a speaker's desk or a speaker's platform; or
- (i) allowing the Indian National Flag to touch the ground or the floor or trail in water intentionally; or
- (j) draping the Indian National Flag over the hood, top, and sides or back or on a vehicle, train, boat or an aircraft or any other similar object; or
- (k) using the Indian National Flag as a covering for a building; or
- (l) intentionally displaying the Indian National Flag with the "saffron" down.

3. PREVENTION OF SINGING OF NATIONAL ANTHEM

Whoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

*3A MINIMUM PENALTY ON SECOND OR SUBSEQUENT OFFENCE

Whoever having already been convicted of an offence under section 2 or section 3 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term, which shall not be less than one year.

Note 1: * Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2003 (No. 31 of 2003 dated 8.5.2003)

Note 2: # Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (No. 51 of 2005 dated 20.12.2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विलुपित करता है, दूषित करता है, कुलपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
- (ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या
- (घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या
- (ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,
 - (i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या
 - (ii) कुशनों, रुनालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या
- (च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या
- (छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या
- (ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या
- (झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या
- (ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या
- (ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।